निगरानी / एल.आर. / 2831 / 2005 / टोंक
घासी बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–

श्री वी.पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री ओ.पी.भट्ट, उप राजकीय अभि0 अप्रार्थी

दिनांक : 11.01.2021

निर्णय

यह निगरानी भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 16 / 98 में पारित निर्णय दिनांक 31–3–2005 के विरुद्ध धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार मालपुरा ने प्रार्थी के विरूद्ध ग्राम चांदसेन स्थित आराजी खसरा नंबर 2339 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा बाबत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर बिना प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिए एकतरफा में प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली, शास्ती एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनाक 27–1–97 को पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अतिरिक्त कलक्टर टोंक ने दिनांक 24–12–97 को निरस्त कर दी तथा उक्त निर्णय दिनांक 24–12–97 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक ने निर्णय दिनांक 31–3–2005 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सिविल कारावास का आदेश 3 माह की जगह 15 दिन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का कर दिया तथा शेष आदेश बहाल रखा। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी पेश की है। उनका कथन है कि प्रार्थी विवादित भूमि पर पिछले कई वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी ने विवादित भूमि पर लाखों रूपया खर्च कर चाह का निर्माण करवाया है तथा बगीचा लगा रखा है जिससे प्रार्थी विवादित भूमि के नियमन का अधिकारी हो गया है। प्रार्थी को विवादित आराजी से कभी भी भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया फिर भी बिना किसी ठोस साक्ष्य के प्रार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमणी मानकर बेदखली, शास्ती एवं सिविल कारावास से दण्डित करने का जो आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णयों को निरस्त किया जावे तथा विवादित भूमि प्रार्थी के नाम नियमन किए जाने के आदेश पारित किये जावें। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चरागाह भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया जाना सिद्ध पाया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली, शास्ती एवं सिविल कारावास का जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि सम्मत है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त चरागाह आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण सिद्ध पाये जाने पर नायब तहसीलदार, मालपुरा ने प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली, शास्ती एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 27–1–97 को पारित किया। नायब तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अतिरिक्त कलक्टर टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 24–12–97 के द्वारा खारिज कर दिया तथा निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 24–12–97 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 31–3–2005 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित तीन माह की सिविल कारावास की सजा को 15 दिवस में कन्वर्ट कर दिया। किन्तु शास्ती एवं पेनल्टी के आदेश को यथावत रखा। हम अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तीन माह से 15 दिवस में कन्वर्ट की गई सिविल कारावास की सजा को निरस्त करना न्यायोचित समझते हैं। अतः यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ती का आदेश यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	